2007/00005

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जद | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 26.02.2020 | पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।<br>अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया कि गांव खीचन की शरहद में काशत भूमि खसरा नं. 160 रकबा 194.17 बीघा , खसरा नं. 161 रकबा 2.05 बीघा खसरा नं. 162 रकबा 5.11 बीघा कुल रकबा 202.13 बीघा भूमि स्थित हैं जिसकी खातेदारी वादी के पिता बालकिशन पुत्र रामरतन कौम ब्राहमण के नाम से दर्ज थी। बालकिशन का देहान्त होने से उसका एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी वादी है। जो उक्त भूमि पर आज दिन तक क़ाबिज है। अतः वादी को उक्त खसरान कि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।<br>अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम खीचन के खसरा सं. 160.161.व 162 वक्त सेटलमेंट के समय से ही खलसा भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी उक्त भूमि पर कभी वादी एंव उसके पिता का कब्जा नही रहा है उक्त भूमि सरकारी भूमि होने से राजस्व रिकोर्ड में चौब, नाडी, कुण्ड, आगोर, पायदान एंव कब्रस्तान के रूप में दर्ज है जो आज भी मौके पर स्थित है चौब, नाडी, कुण्ड, आगोर, पायदान एंव कब्रस्तान की भूमि को कभी भी किसी भी रूप में परिवर्तित नही किया जा सकता है अत; वादी का वाद खरीज किया जावें।<br>उभयपक्ष अधिवक्ता कि बसह सुनी पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन व मनन से वादी ने अपने वाद को दस्तावेजात् से साबित नही कर पाये। अतः वादी का वाद खारीज योग्य होने से खारीज किया जाता है।<br>**—: आदेश :—**<br>वादी का वाद खारीज किया जाकर ग्राम खीचन के खसरा नं. 160 रकबा 194.17 बीघा , खसरा नं. 161 रकबा 2.05 बीघा खसरा नं. 162 रकबा 5.11 बीघा कुल रकबा 202.13 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट के समय से ही खलसा भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी उक्त भूमि सरकारी भूमि होने से राजस्व रिकोर्ड में चौब, नाडी, कुण्ड, आगोर, पायदान एंव कब्रस्तान के रूप में दर्ज है जो आज भी मौके पर स्थित है चौब, नाडी, कुण्ड, आगोर, पायदान एंव कब्रस्तान की भूमि को कभी भी किसी भी रूप में परिवर्तित नही किया जा सकता है अत; वादी का वाद खरीज किया जाता है।<br>इसी माफिक अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।<br><br>निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को सरे इजलास मे सुनाया गया।<br><br>(यशपाल आहूजा आर.ए.एस)<br>सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलौदी | |

Scanned by CamScanner

**डिगरी बमुकदमें इब्तदाई**
**(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)**
**अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी**
**बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)**

**वादी**

1. बद्रीनारायण पुत्र बालकिशन
   जाति पुष्करणा ब्राहमण थानवी
   निवासी फलोदी

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. राजस्थान राज्य जरिये
   तहसीलदार फलोदी. रफीक खां पुत्र सामीर खां
2. ग्राम पंचायत खीचन जरिये सरपंच
3. वक्फ बोर्ड जरियें अध्यक्ष जलेबी चौक जयपुर

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, राज. काश्तकारी अधिनियम**

वाद संख्या 349/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री हीराराम बिश्नोई, अधिवक्ता मिनजानिब व सिकन्दर घोसी मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है ग्राम खीचन के खसरा नं. 160 रकबा 194.17 बीघा , खसरा नं. 161 रकबा 2.05 बीघा खसरा नं. 162 रकबा 5.11 बीघा कुल रकबा 202.13 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट के समय से ही खलसा भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी उक्त भूमि सरकारी भूमि होने से राजस्व रिकोर्ड में चौब, नाडी, कुण्ड, आगोर, पायदान एंव कब्रस्तान के रूप में दर्ज है जो आज भी मौके पर स्थित है चौब, नाडी, कुण्ड, आगोर, पायदान एंव कब्रस्तान की भूमि को कभी भी किसी भी रूप में परिवर्तित नही किया जा सकता है अत; वादी का वाद खरीज किया जाता है। मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।
वसूली याबी तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 02 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

| मोहर मुदई | रूपया | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| अर्जी दावा स्टाम्प<br>वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनतनामा वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमीश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मिजान | – | – | अर्जी दावा स्टाम्प<br>वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनतनामा वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमीश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मिजान | – | – |

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किय जावें।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.03.13 11:04:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: